रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 11, 2014/फाल्गुन 20, 1935
No. 124] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 11, 2014/PHALGUNA 20, 1935

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2014

सा. का. नि. 176 (अ).—ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिनको केन्द्रीय सरकार, ओषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, बनाने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110002 को भेजा जा सकता है ;

आक्षेप या सुझाव को सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को अग्रेषित किया जा सकेगा ।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओषधि और प्रसाधन सामग्री (**द्वितीय** संशोधन) नियम, 2014 है ।

2. ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में,—

(i) नियम 74 में, खंड (ण) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

"(त) अनुसूची ज, अनुसूची ज1 और अनुसूची भ में विनिर्दिष्ट ओषधियों के लिए कोई विज्ञापन, सिवाय केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के, नहीं किया जाएगा ।

(ii) नियम 74क में, खंड (ज) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

"(i) अनुसूची ज, अनुसूची ज1 और अनुसूची भ में विनिर्दिष्ट ओषधियों के लिए कोई विज्ञापन, सिवाय केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के, नहीं किया जाएगा ।

(iii) नियम 74ख में, खंड (6) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

"(7) अनुसूची ज, अनुसूची ज1 और अनुसूची भ में विनिर्दिष्ट ओषधियों के लिए कोई विज्ञापन, सिवाय केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के, नहीं किया जाएगा ।

(iv) नियम 78 में, खंड (त) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

"(थ) अनुसूची ज, अनुसूची ज1 और अनुसूची भ में विनिर्दिष्ट ओषधियों के लिए कोई विज्ञापन, सिवाय केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के, नहीं किया जाएगा ।

(v) नियम 78क में, खंड (7) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

"(8) अनुसूची ज, अनुसूची ज1 और अनुसूची भ में विनिर्दिष्ट ओषधियों के लिए कोई विज्ञापन, सिवाय केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के, नहीं किया जाएगा ।

[फा.सं. एक्स-11014/3/2012-डीएफक्यूसी]

अरुण के. **पंडा**, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक एफ 28-10/45-एच(1), तारीख 21 दिसंबर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि.724(अ) तारीख 07/11/2013 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2014

G.S.R. 176 (E).—The following draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 12 and section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary (Health), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhawan, New Delhi- 110011.

The objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above, shall be considered by the Central Government.

Draft rules

1. These rules may be called the Drugs and Cosmetics (2nd Amendment) Rules, 2014.
2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945,—

(i) in rule 74, after clause (o), the following clause shall be inserted, namely:—

"(p) No advertisement of the drugs specified in Schedule H, Schedule H1 and Schedule X shall be made except with the previous sanction of the Central Government.";

(ii) in rule 74A, after clause (h), the following clause shall be inserted, namely:—

"(i) No advertisement of the drugs specified in Schedule H, Schedule H1 or Schedule X shall be made except with the previous sanction of the Central Government.";

(iii) in rule 74B, after clause (6), the following clause shall be inserted, namely:—

"(7) No advertisement of the drugs specified in Schedule H, Schedule H1 or Schedule X shall be made except with the previous sanction of the Central Government.";

(iv) in rule 78, after clause (p), the following clause shall be inserted, namely:-

"(q) No advertisement of the drugs specified in Schedule H, Schedule H1 or Schedule X shall be made except with the previous sanction of the Central Government.";

(v) in rule 78A, after clause (7), the following clause shall be inserted, namely:—

"(8) No advertisement of the drugs specified in Schedule H, Schedule H1 or Schedule X shall be made except with the previous sanction of the Central Government.".

[F. No. X-11014/ 3 /2012-DFQC]

ARUN K. PANDA, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Official Gazette vide notification No. F.28-10/45-H (1) dated the 21st December, 1945 and last amended vide notification number G.S.R. 724 (E) dated the 7th November, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.